राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 9 अप्रैल, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाहन में राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 191वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6.	राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7.	सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1.	श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2.	सुश्री ज्योति सिंघल	उप सचिव
3.	सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
4.	सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5.	श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
6.	सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
7.	सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक
8.	श्री बंसी लाल	सहायक (स्थापन)

आरंभ में अध्यक्ष ने आयोग में पद ग्रहण करने वाले सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और यह मत व्यक्त किया कि सभी सदस्यों को नियुक्त करने के पश्चात् आयोग अपनी पूरी ताकत से अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कार्य करेगा। इसके पश्चात् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

वाल्यूम सं.1

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 18 फरवरी, 2019 को आयोजित आयोग की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2019 को आयोजित आयोग की 188वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

तारीख 6 मार्च, 2019 को आयोजित आयोग की 189वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 6 मार्च, 2019 को आयोजित आयोग की 189वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 3:

तारीख 13 मार्च, 2019 को आयोजित आयोग की 190वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 13 मार्च, 2019 को आयोजित आयोग की 190वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 4:

आयोग में डाटा एंट्री आपरेटर प्रदान करने के लिए एम.एस. विजिलेंट सिक्युरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को भूतलक्षी प्रभाव से ठेका देने का अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और आयोग में डाटा एंट्री आपरेटर प्रदान करने के लिए एम.एस. विजिलेंट सिक्युरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को भूतलक्षी प्रभाव से ठेका देने का अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 5:

घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण पर जागरूकता से संबंधित क्रमश: 30 दिन और 90 दिन की अवधि के लिए विज्ञापन चलाने के लिए डीएवीपी को 1,99,81,450/- रूपये की रकम का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आयोग का अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण पर जागरूकता से संबंधित क्रमश: 30 दिन और 90 दिन की अवधि के लिए विज्ञापन चलाने के लिए डीएवीपी को 1,99,81,450/- रू की रकम का निर्मोचन करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 6:

8,11,038 रू की कुल प्राक्कलित लागत पर एयर कंडीशनिंग प्रणाली के मरम्मत कार्य और मैसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड, (मूल उपकरण विनिर्माता और एएमसी धारक) को कुल रकम का 50% अर्थात् 4,05,519/-रू निर्मोचित करने का आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और 8,11,038 रू की कुल प्राक्कलित लागत पर एयर कंडीशनिंग प्रणाली के मरम्मत कार्य और मैसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड, (मूल उपकरण विनिर्माता और एएमसी धारक) को कुल रकम का 50% अर्थात् 405519/-रू निर्मोचित करने का आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

(कार्रवाई: अवर सचिव (बीएस))

कार्यसूची मद सं. 7:

राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन में लगे हुए अग्निशामक प्रणाली, फायर अलार्म प्रणाली तथा एचटी/एलटी पैनलों आदि की 15,94,500/- रू की प्राक्कलित लागत पर मरम्मत और सर्विस करने के कार्य को प्रदान करने के लिए तथा मैसर्स एनबीसीसी सर्विसिज़ लिमिटेड (एनएसएल) के प्रयोजन के लिए 12,75,500/- रू अग्रिम धन के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से निर्मोचित करने का अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन में लगे हुए अग्निशामक प्रणाली, फायर अलार्म प्रणाली तथा एचटी/एलटी पैनलों आदि की 15,94,500/- रू की प्राक्कलित लागत पर मरम्मत और सर्विस करने के कार्य को प्रदान करने के लिए तथा मैसर्स एनबीसीसी सर्विसिज़ लिमिटेड (एनएसएल) के प्रयोजन के लिए 12,75,500/- रू अग्रिम धन के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से निर्मोचित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। साधारण प्रशासन की भारसाधक अवर सचिव मरम्मत कार्य की निगरानी करेगी और साप्ताहिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(कार्रवाई: अवर सचिव (बीएस))

कार्यसूची मद सं. 8:

प्रतिवर्ष 9,11,405/- रू (केवल नौ लाख ग्यारह हजार चार सौ पांच रू) का व्यय उपगत करने के द्वारा मैसर्स रमेशचंद्र से फूल प्रदाय करने की सेवाओं को प्रदान करने के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग को यह अवगत कराया गया है कि यद्यपि अभिकरण ने फूल/गुलदस्तों का दैनिक आधार पर प्रदाय करना आरंभ कर दिया है किंतु भवन के भीतर नियंत्रित वातावरण पर विचार करने के पश्चात् एक सप्ताह में दो या तीन बार फूल प्रदान करने की संविदा का पुर्नविलोकन करने की आवश्यकता उद्भुत हुई है। यदि विद्यमान अभिकरण आयोग के प्रस्ताव को नहीं मानता है तब साधारण वित्तीय नियम 2017 के अनुसार सम्यक् प्रक्रिया का पालन करके इस संविदा को समाप्त किया जा सकता है और नए सिरे से कार्यवाही की जा सकती है।

(कार्रवाई: अवर सचिव (बीएस))

कार्यसूची मद सं. 9:

23,42,346/- रू की कुल लागत पर आईटी उपकरणों और फोटोकॉपियरों को क्रय करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आयोग का अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और 23,42,346/- रू की कुल लागत पर आईटी उपकरणों और फोटोकॉपियरों को क्रय करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 10:

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण से संबंधित पूर्वोत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर 1,11,60,924/- रू रकम के विज्ञापन का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण से संबंधित पूर्वोत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर 1,11,60,924/- रू रकम के विज्ञापन का अयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 11:

शिलांग और गेंगटॉक में कार्यशालाओं के लिए मंजूर की गई 14,22,700/- रू की रकम में से 11,00,000/- रू के रकम निर्मोचन के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और शिलांग और गेंगटॉक में कार्यशालाओं के लिए मंजूर की गई 14,22,700/- रू की रकम में से 11,00,000/- रू के रकम निर्मोचित करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 12:

इंडिया हेबिडेट सेंटर पर तारीख 31.1.2019 को आयोजित 'उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' पर परामर्श आयोजित करने के लिए आयोग का 9,61,223/- रू (केवल नौ लाख इकसठ हजार दो सौ तेईस रूपये) के व्यय का आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और इंडिया हेबिडेट सेंटर पर तारीख 31.1.2019 को आयोजित 'उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' पर परामर्श आयोजित करने के लिए 9,61,223/- रू (केवल नौ लाख इकसठ हजार दो सौ तेईस रूपये) के व्यय का आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यसूची मद सं. 13:

53,15,000/- रू की कुल लागत पर 50 विधिक जागरूकता कार्यक्रम की मंजूरी के लिए कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 26,57,500/- रू की पहली किश्त निर्मोचित करने के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और 53,15,000/- रू की कुल लागत पर 50 विधिक जागरूकता कार्यक्रम की मंजूरी के लिए कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 26,57,500/- रू की पहली किश्त निर्मोचित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया। श्रीमती राजुलबेन एल देसाई, सदस्य, ने यह मत व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है तद्नुसार उनसे अनुरोध किया गया कि वे विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करे।

कार्यसूची मद सं. 14:

आयोग में के दैनिक मजदूरों को विशेष प्रोत्साहन और महंगाई भत्ते का भुगतान और छुट्टियों का प्रत्यावर्तन करने की बाबत आयोग की 190वीं बैठक के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 13 मार्च, 2019 को आयोजित आयोग की 190वीं बैठक पर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' के भागरूप आयोग में के दैनिक मजदूरों को विशेष प्रोत्साहन और महंगाई भत्ते का निर्मोचन कर दिया गया है।

कार्यसूची मद सं. 15:

(i) लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, हजारीबाग, झारखंड और (ii) रांची इंस्टिट्यूट ऑफ़ न्यूरोसाइकेट्री एंड अलाइड साइंस (आरआईएनपीएएस), कानके, रांची की दोनों संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें उनमें की गई टिप्पणी और सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं, का कृपया आयोग द्वारा अनुमोदन किया जाए।

आयोग ने दोनों संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टों पर, जिसमें टिप्पणी और सिफारिशें भी शामिल हैं, विचार-विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची मद सं. 16:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बारह विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,32,000/- रू (केवल चार लाख बत्तीस हजार रूपये) की अंतिम किश्त के निर्मोचन का अनुमोदन।

आयोग को यह सूचित किया गया कि पंजाब राज्य आयोग ने भोजन और वास सुविधा के लिए सीधे ही भाग लेने वालों को भुगतान कर दिया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए 12 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पंजाब राज्य आयोग द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,32,000 रू (केवल चार लाख बत्तीस हजार रूपये) की अंतिम किश्त का निर्मोचन का अनुमोदन नहीं करता है।

वाल्यूम II

कार्यसूची मद सं. 1:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट दी गई है। यह विनिश्चय किया गया था कि सदस्यों को उनके मामलों की बाबत अनुस्मारक प्रस्तुत किए जाएंगे।

(कार्रवाई: वरिष्ठ समन्वयक (सीएंडआई)

कार्यसूची मद सं. 2:

लुधियाना के पास इसेवाल में एक महाविद्यालय की लड़की के साथ अभिकथित सामूहिक बलात्संग से संबंधित विषय पर जांच करने के लिए तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट।

आयोग ने विचार विमर्श किया और यह नोट किया कि तथ्य पता लगाने वाले दल के तीन सदस्यों की रिपोर्ट जिसका संबंध लुधियाना के पास इसेवाल में एक महाविद्यालय की लड़की के साथ अभिकथित सामूहिक बलात्संग से है के मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाएं।

वाल्यूम III

कार्यसूची मद सं. 1:

संविदा के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(विधि) को नियुक्त करने की बाबत तारीख 16.1.2019 को आयोजित की आयोग की 187वीं बैठक की कार्यसूची मद सं. 7 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

संविदा के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(विधि) को नियुक्त करने की बाबत तारीख 16.1.2019 को आयोजित की आयोग की 187वीं बैठक की कार्यसूची मद सं. 7 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को आयोग ने नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 2:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता की स्थिति और धन की प्रतिपूर्ति।

आयोग ने नोट कर लिया है कि 238 संस्थाओं को कुल 62,76,730 रूपये की प्रतिपूर्ति करने के लिए कुल व्यय उपगत हुआ है जिसमें पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए 2,95,918 रूपये भी शामिल है।

आयोग ने नोट कर लिया है और भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 31 जनवरी, 2019 तक बिल और वाउचर आदि प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2019 कर दिया है।

पटल पर कार्यसूची मद सं. 1:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट का पुन:आवंटन और वर्ष 2018-19 के लिए उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यय विवरणी को नोट कर लिया है।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार मार्च, 2019 में निधियों के उपशीर्ष वार पुन:आवंटन को नोट कर लिया है और भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया है।

(सुश्री मीनाक्षी गुप्ता)
सदस्य सचिव

(सुश्री रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.